

तारीख हुक्म	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनात्मक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज राज. सरकार वनाम धूलीलाल-5/0 बिरधीलाल मीना निवासी
----------------	--


27-

8-12-23

पत्रावली पेश हुई। परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पत्रांक/भू.अ./2023/2109 दिनांक 07.11.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में ग्राम तूमडा की खसरा नम्बर 452/23 रकबा 2.4281 हेक्टर भूमि खातेदार धूलीलाल पुत्र बिरधीलाल मीना निवासी रांवा के खाते की भूमि को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की पालना में नामान्तरण नं. 731 दिनांक 04.05.2023 से सिवायचक कर खाता संख्या 1 में अमल दरामद कर दिया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अप्रार्थी धूलीलाल पुत्र बिरधीलाल मीना को आवंटन आदेश दि. 22.08.1978 से ग्राम तूमडा तहसील छीपाबडौद के खसरा नम्बर 452/23 की 15 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का तहसीलदार छीपाबडौद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार औचित्य समाप्त हो गया है। परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा इस न्यायालय में अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार छीपाबडौद को सूचनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रवीष्ट हो।

29-

30-

  
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 बारां

27-



25-